[न्यायमूर्ति डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्या कांत**]**

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010।14, 16 और 38-अप्रैल 2007 अंतर्गत , सातवें प्रत्यर्थी, भारतीय इस्पात प्राधिन्यायालय ण (सेल) और जयप्रकाश एसोसिएट्स ने भिलाई, छत्तीसगढ़ अंतर्गत 2.2 एम. टी. पी. ए. क्षमता की सीअंतर्गत ट पीसने की इकाई स्थापित न्यायालय ने के लिए एक समझौता ज्ञापन अंतर्गत प्रवेश किया-इसके अनुसार, उन्होंने दसवें प्रत्यर्थी, भिलाई जेपी सीअंतर्गत ट लिमिटेड की स्थापना की-सेल से संबंधित 34.59 एकड़ भूमि का एक पार्सल, जो दुर्ग जिले के भिलाई अंतर्गत हिंगना और मरोड़ा के गांवों अंतर्गत पड़ता है, दसवें प्रत्यर्थी को तीस साल के लिए पट्टे पर दिया गया था, एक दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर-इस भूमि के उपयोग को भिलाई की 1991 की विकास योजना अंतर्गत "ग्रीन बेल्ट" के रूप अंतर्गत नामित किया गया था -एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ -धारा 38 (5) अपने अधिनियमन से पहले लंबित सभी मामलों को एन. जी. टी. को हस्तांतरित करने का प्रावधान करती है-ई. सी. एन. जी. टी. अधिनियम के प्रवर्तन से पहले जारी किया गया था और रिट याचिकाकर्ता द्वारा पुराने अधिनियम के अंतर्गत कोई कदम नहीं उठाए गए थे-इसलिए, धारा 38 (5) के अंतर्गत कार्यवाही के हस्तांतरण का कोई प्रश्न ही नहीं था।38(5) एन. जी. टी. अधिनियम-चुनाव आयोग को अधिसूचित करने की तारीख के तीन साल बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी-इसलिए, चुनाव आयोग को चुनौती देने पर सीमा ए द्वारा रोक लगा दी गई थी।

/

/

/

/

/

/

850

851

राजा अहमद बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ओ. आर. एस.

– राज्य ने 18 फरवरी 2011 को भूमि के उपयोग को "हरित पट्टी" से "औद्योगिक उद्देश्य" में संशोधित करने के लिए अधिसूचित किया, जबकि याचिका 8 सितंबर 2011 को शुरू की गई थी -एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 (3) एन. जी. टी. के समक्ष विवाद के लिए आवेदन करने के लिए छह महीने की सीमा अवधि प्रदान करती है और साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान करती है-एन. जी. टी. को यह निर्धारित करने के लिए प्रेषित कार्यवाही कि क्या विलंब को विस्तारित अवधि के भीतर पर्याप्त कारण के लिए माफ किया जा सकता है।14(3) – एनजीटी के पास सभी मुद्दों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी।

/

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** धारा **1 (2)** के प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद एनजीटी अधिनियम **18** अक्टूबर **2010** को लागू हुआ।एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम की धारा **38 (1)** में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम **1995** और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम **1997** निरस्त हो जाएंगे।धारा **38 (2)** निरस्त अधिनियमों के अंतर्गत की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई की रक्षा करती है।धारा **38 (3)** ने उपरोक्त **1997** अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण को भंग कर दिया। हालाँकि**,** धारा **38 (5)** राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों को एन**.** जी**.** टी**.** को स्थानांतरित करने का प्रावधान करती है। वर्तमान मामले में**,** एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम के प्रवर्तन से पहले **1** मई **2008** को ई**.** सी**.** जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा **1997** के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। एन**.** जी**.** टी**.** अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख को कोई चुनौती लंबित नहीं थी और इसलिए**,** एन**.** जी**.** टी**.** को किसी भी कार्यवाही के हस्तांतरण का कोई प्रश्न ही नहीं था। निर्वाचन आयोग के समक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती **8** सितंबर **2011** को उठाई गई थी**,** जो **8** मई **2008** को समाचार पत्रों में निर्वाचन आयोग के प्रकाशन की तारीख से तीन

साल आगे थी।नतीजतन, ई. सी. को चुनौती सीमितता से बाधित थी।[पारस **9,13,14]** **[855-**ए; **856-**ए-डी**]**

/

/

/

2. अपीलार्थी ने **3** फरवरी **2011 (18** फरवरी **2011** को प्रकाशित**)** की राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता को भी जारी किया था, जिसके द्वारा भूमि के उपयोग को "औद्योगिक उद्देश्य" में बदलने की मांग की गई थी।रिट याचिका

/

/

/

8 सितंबर **2011** को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।एन. जी. टी. अधिनियम की धारा **14** के संदर्भ में, एन. जी. टी. के मूल अधिकार क्षेत्र का कोई भी सहारा उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए जिस दिन इस तरह के विवाद की कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ था।एनजीटी के पास साठ दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति है।**8** सितंबर **2011** के बीच, जब रिट याचिका दायर की गई थी, और **28** जनवरी **2013** के बीच, जब उच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थानांतरित की, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था।इस प्रकार, कार्यवाही को यह निर्धारित करने के लिए एनजीटी को वापस भेज दिया जाता है कि क्या **3** फरवरी **2011** की अधिसूचना के माध्यम से भूमि उपयोग को "औद्योगिक उद्देश्य" के लिए प्रस्तावित संशोधन की चुनौती पर एनजीटी अधिनियम की धारा **14 (3)** के प्रावधान द्वारा निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर विचार किया जा सकता है। **[**पैरा **15,17,20] [856-**ई; **857-**डी-एफ; **858-**डी-ई**]**

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2014 की सिविल अपील संख्या 2804।

/

2013 की अपील संख्या 1 में भोपाल में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मध्य क्षेत्र के दिनांकित 02.08.2013 के निर्णय और आदेश से।डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, आयुषमान एरॉन, आदित्य हुड्डा, राहुल बेसोया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

सुमीर सोधी, प्रणय जो सेबेस्टियन, यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री प्रकृति रॉय, पवन उपाध्याय, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, गौरव प्रकाश पाठक, के. कृष्ण कुमार, शिवराज सिंह, अक्षत श्रीवास्तव, सुश्री योगमाया अग्निहोत्री, रोहित के. सिंह, हिमांशु राव, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 1 की धारा 22 के अंतर्गत यह अपील भोपाल में अपनी केंद्रीय क्षेत्र पीठ में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2 के 2 अगस्त 2013 के एक निर्णय से उत्पन्न होती है।

/

1 “एनजीटी अधिनियम "2" एनजीटी "

/

853

राजा अहमद बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

/

2. अप्रैल 2007 में, सातवें प्रतिवादी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3 और जयप्रकाश एसोसिएट्स ने भिलाई, छत्तीसगढ़ में 2.2 एम. टी. पी. ए. क्षमता की सीमेंट पीसने की इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।इस लक्ष्य के अनुसरण में, उन्होंने दसवें प्रतिवादी, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड की स्थापना की।दुर्ग जिले के भिलाई में हिंगना और मरोड़ा गाँवों में सेल से संबंधित 34.59 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा, 16 जून 2007 के दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर, दसवें प्रतिवादी को तीस साल के लिए पट्टे पर दिया गया था। भिलाई की 1991 की विकास योजना में भूमि के इस हिस्से के भूमि उपयोग को "हरित पट्टी" के रूप में नामित किया गया था।दसवें प्रतिवादी के आवेदन पर, दूसरे प्रतिवादी, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1 मई 2008 को सीमेंट पीसने की इकाई की उनकी परियोजना को पर्यावरण मंजूरी 4 प्रदान की गई थी।यह बाद में 8 मई 2008 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। 3.अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि चूंकि निर्वाचन आयोग गलत तरीके से जारी किया गया था, इसलिए भूमि के हिस्से पर दसवें प्रतिवादी का निर्माण अवैध था। इस संबंध में, पाँचवें प्रतिवादी, निदेशक, नगर और देश योजना, भिलाई और छठे प्रतिवादी, आयुक्त, भिलाई नगर निगम द्वारा उन्हें भूमि को उसकी मूल स्थिति में वापस करने या संरचना के

विध्वंस का सामना करने के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे।दसवें प्रत्यर्थी ने तब 34.59 एकड़ जमीन के हिस्से के भूमि उपयोग के संशोधन के लिए आवेदन किया।

/

/

/

4. पहले प्रतिवादी, छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ नगर टाटा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-ए के अंतर्गत उनके मामले पर विचार किया।22 मई 2010 को, राज्य सरकार ने भूमि उपयोग को "ग्रीन बेल्ट" से "औद्योगिक उद्देश्य" में बदलने का प्रस्ताव इस आधार पर किया कि दसवें प्रतिवादी द्वारा सीमेंट पीसने की इकाई की स्थापना एक "तत्काल सार्वजनिक उद्देश्य" का गठन करती है।13 जुलाई 2010 और 15 जुलाई 2010 के बीच, राज्य सरकार ने भूमि उपयोग में प्रस्तावित संशोधन पर प्रकाश डालते हुए और आम जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए दो शाम के समाचार पत्रों में परिपत्र प्रकाशित किए। अपीलार्थी ने कथित तौर पर प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आपत्ति जताई।हालाँकि, 1 मई 2008 को दिए गए निर्वाचन आयोग पर भरोसा करते हुए, राज्य सरकार ने 3 फरवरी 2011 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें भूमि के हिस्से के भूमि उपयोग को "हरित पट्टी" से "औद्योगिक उद्देश्य" में संशोधित किया गया।यह अधिसूचना 18 फरवरी 2011 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

/

/

/

3 “सेल "

4 “ईसी "

5 पत्र संख्या J-11011000112007-IA-II (I) 6 अधिसूचना संख्या F/7-24/32 2010

/

5. इसके बाद अपीलार्थी ने 8 सितंबर 2011 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक जनहित याचिका 7 दायर की।अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहतें

इस प्रकार थीं:(i) भिलाई की 1991 की विकास योजना में "हरित पट्टी" के रूप में "औद्योगिक उद्देश्य" के लिए नामित भूमि के भूखंडों के भूमि उपयोग को संशोधित करने वाली राज्य सरकार की 3 फरवरी 2011 की अधिसूचना को रद्द करना;

/

(ii) अपनी सीमेंट पीसने की इकाई के लिए दसवें प्रतिवादी को 1 मई 2008 को जारी किए गए निर्वाचन आयोग को रद्द करना (चुनौती का आधार यह था कि परियोजना को श्रेणी ए के बजाय गलती से श्रेणी बी 2 में वर्गीकृत किया गया था, और इसलिए पर्यावरण प्रभाव अध्ययन और सार्वजनिक सुनवाई/परामर्श आयोजित करने की अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था); और

/

(iii) "ग्रीन बेल्ट" के रूप में नामित भूमि की 34.59 एकड़ की बहाली, जिसे भूमि पर किए गए निर्माण से पहले अपनी मूल स्थिति के अनुसार दसवें प्रतिवादी को पट्टे पर दिया गया था।

/

6. दसवें प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका की स्थिरता के संबंध में आपत्ति जताई गई थी।

7. 28 जनवरी 2013 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने भोपाल में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए याचिका को एनजीटी को स्थानांतरित कर दिया।

/

गैस पीठ महिला उद्योग संगठन बनाम भारत संघ **8.**एनजीटी**,**

2 अगस्त 2013 के अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपील 9 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि -

((i) अपील पर प्रतिबंध है; और

/

(ii) एन. जी. टी. का गठन एन. जी. टी. अधिनियम द्वारा किया गया है, और इसके पास भूमि उपयोग में परिवर्तन करने वाली राज्य सरकार की 3 फरवरी 2011 की अधिसूचना को चुनौती देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।8. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वकील डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, सातवें प्रतिवादी की ओर से पेश वकील श्री यशराज सिंह देवड़ा और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश वकील श्री सुमीर सोधी को सुना है।

/

/

855

रजा अहमद बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

9. धारा 1 (2) के प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद एनजीटी अधिनियम 18 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ।एनजीटी के पास मूल अधिकार क्षेत्र है, जो धारा 14 और अपीलीय अधिकार क्षेत्र द्वारा प्रदान किया गया है, जो धारा 16 द्वारा प्रदान किया गया है।इसके अलावा, धारा 15 एन. जी. टी. को मुआवजे और क्षतिपूर्ति सहित पर्यावरणीय क्षति के उपचार के लिए राहत देने का अधिकार देती है।

/

10. धारा 14 एन. जी. टी. को उन सभी दीवानी मामलों में अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकार देती है जहां पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन सहित) शामिल है और ऐसा प्रश्न अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होता है। धारा 14 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि प्रावधान के अंतर्गत किसी विवाद के निर्णय के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जिस दिन इस तरह के विवाद के लिए कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ था।परंतुक अंतर्गत एनजीटी को साठ दिनों की सीमा के अधीन पर्याप्त कारण के लिए निर्धारित अवधि से आगे की अपील पर विचार करने का अधिकार है।11. धारा 16, जो एन. जी. टी. को अपीलीय अधिकारिता प्रदान करती है, खंड (एच) में विचार करती है कि एन. जी. टी. अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद किए गए आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है, जिसमें ई. सी. को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी अपील आदेश, निर्णय, निर्देश या निर्धारण के संचार की तारीख से तीस दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।एन. जी. टी. को पर्याप्त कारण के लिए साठ दिनों से अधिक की अवधि की देरी को माफ करने की शक्ति सौंपी गई है।

/

/

/

12. वर्तमान मामले में, विवाद के विषय पर असर डालने वाली प्रासंगिक तिथियां इस प्रकार हैंः

(i) 1 मई 2008-ईसी को दसवें प्रतिवादी की परियोजना (बाद में 8 मई 2008 को समाचार पत्रों में प्रकाशित) को दिया गया था;

/

(ii) 18 फरवरी 2011-राज्य सरकार द्वारा 3 फरवरी 2011 की अधिसूचना का प्रकाशन, जिसमें हरित क्षेत्र से औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि उपयोग में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

/

(iii) 8 सितंबर 2011-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की स्थापना; और

(iv) 28 जनवरी 2013-उच्च न्यायालय द्वारा एन. जी. टी. को कार्यवाही का हस्तांतरण।

/

856

/

[2022] 2 एस सी आर।

13. एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 38 (1) में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 10 निरस्त हो जाएंगे।धारा 38 (2) निरस्त अधिनियमों के अंतर्गत की गई किसी भी चीज़ या की गई किसी भी कार्रवाई की रक्षा करती है।धारा 38 (3) ने उपरोक्त 1997 अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण को भंग कर दिया। हालाँकि, धारा 38 (5) राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों को एन. जी. टी. को स्थानांतरित करने का प्रावधान करती है।

/

14. वर्तमान मामले में, एन. जी. टी. अधिनियम के प्रवर्तन से पहले 1 मई 2008 को ई. सी. जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा 1997 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। एन. जी. टी. अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख पर कोई चुनौती लंबित नहीं थी और इसलिए, एन. जी. टी. को किसी भी कार्यवाही के हस्तांतरण का कोई प्रश्न ही नहीं था। निर्वाचन आयोग के समक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती 8 सितंबर 2011 को उठाई गई थी, जो 8 मई 2008 को समाचार पत्रों में निर्वाचन आयोग के प्रकाशन की तारीख से तीन साल आगे थी।नतीजतन, निर्वाचन आयोग को चुनौती सीमितता से रोक दी गई थी।वास्तव में, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने उक्त स्थिति को उचित रूप से स्वीकार किया है।

/

/

15. हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है वह यह है कि निर्वाचन आयोग को चुनौती देने के अलावा, अपीलार्थी ने 3 फरवरी 2011 (18 फरवरी 2011 को प्रकाशित) की राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता को भी जारी किया था, जिसके द्वारा भूमि के उपयोग को "औद्योगिक उद्देश्य" में बदलने की मांग की गई थी।एनजीटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिसूचना का यह हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का नगर और देश योजना अधिनियम 1973 उन अधिसूचित कानूनों में से एक नहीं है जिनके संबंध में उसका अधिकार क्षेत्र है।इस निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए, अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी, उक्त राहत के उद्देश्य से, निर्वाचन आयोग को चुनौती नहीं देता है, लेकिन यह दावा करता है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन से निर्वाचन आयोग की शर्तों का उल्लंघन होगा।इस संदर्भ में, निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित शर्तों पर निर्भरता रखी गई हैः

/

/

“ix. जैसा कि प्रस्तावित है, भगोड़े उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए कुल 14 हेक्टेयर क्षेत्र में से 4.62 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में हरित पट्टी विकसित की जाएगी।हरित पट्टी की योजना बनाने और उसे विकसित करने और प्रजातियों के चयन आदि में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

/

10 “1997 ऐक्ट "

/

857

रजा अहमद बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

/

x. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सी. ई. सी. बी.) से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' सहित संबंधित विभागों से अन्य आवश्यक वैधानिक मंजूरी निर्माण और/या संचालन शुरू होने से पहले प्राप्त की जाएगी। "

16. निवेदन यह है कि ई. सी. को ई. आई. ए. अधिसूचना के अनुसरण में जारी किया गया है, जो बदले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 11 में अपनी शक्ति के स्रोत का पता लगाता है।1986 का अधिनियम एक कानून है जो एन. जी. टी. अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि 5 में सूचीबद्ध है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा निर्वाचन आयोग के किसी भी उल्लंघन को एनजीटी के समक्ष उपचार का आह्वान करने के लिए

आधार बनाया जा सकता है। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया है कि यह अपीलकर्ता के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए खुला है क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि 18 फरवरी 2011 की भूमि उपयोग अधिसूचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऊपर उल्लिखित ईसी शर्तों का उल्लंघन होगा और धारा 14 के अंतर्गत अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एनजीटी के समक्ष इसका निवारण किया जा सकता है।यह आग्रह किया गया है कि संसद ने धारा 33 द्वारा एन. जी. टी. अधिनियम को प्रमुख बल दिया है।

/

/

/

17. प्रश्न अधिसूचना जिसके द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया था, 18 फरवरी 2011 को प्रकाशित किया गया था।उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 8 सितंबर 2011 को दायर की गई थी।एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में, एन. जी. टी. के मूल अधिकार क्षेत्र का कोई भी सहारा उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए जिस दिन इस तरह के विवाद की कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ था। एनजीटी के पास साठ दिनों से अधिक की अवधि की देरी को माफ करने की शक्ति है।8 सितंबर 2011 के बीच, जब रिट याचिका दायर की गई थी, और 28 जनवरी 2013 के बीच, जब उच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थानांतरित की, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था।यदि एनजीटी यह मानता है कि अपीलार्थी ने धारा 14 की उप-धारा (3) के परंतुक के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण दिखाया है, तो 8 सितंबर 2011 को कार्यवाही की स्थापना अपने परंतुक के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि के भीतर आएगी।

/

/

/

18. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश वकील श्री सुमीर सोधी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने धारा 16 के अंतर्गत एनजीटी के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था, यही कारण है कि कार्यवाही को ओ. ए. के रूप में नहीं, बल्कि एक अपील के रूप में गिना गया था।

/

11 “1986 ऐक्ट "

858

/

19. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे एनजीटी को स्थानांतरित कर दिया गया था और स्थानांतरण पर, कार्यवाही को एक अपील के रूप में गिना गया था।जिन राहतों का दावा किया गया था, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उनमें निर्वाचन आयोग को चुनौती देने के साथ-साथ 3 फरवरी 2011 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा भूमि के उपयोग को "औद्योगिक उद्देश्य" में बदलने का प्रस्ताव किया गया था।ई. सी. के लिए चुनौती, जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, सीमा द्वारा वर्जित है।हालाँकि, भूमि उपयोग के परिवर्तन को चुनौती, इस आधार पर कि इस तरह का परिवर्तन निर्वाचन आयोग की शर्त का उल्लंघन करेगा, कुछ ऐसा है जो अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आएगा बशर्ते एनजीटी अपने प्रावधान के साथ पठित धारा 14 (3) के अर्थ के भीतर देरी को माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का निर्णय ले।देरी को माफ किया जाना चाहिए या नहीं, यह पूरी तरह से एनजीटी को तय करना है।

/

/

20. तदनुसार हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) 1 मई 2008 को निर्वाचन आयोग को दी गई चुनौती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

/

(ii) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या 3 फरवरी 2011 की अधिसूचना के माध्यम से भूमि उपयोग को "औद्योगिक उद्देश्य" के लिए प्रस्तावित संशोधन की चुनौती पर एनजीटी अधिनियम की धारा 14 (3) के प्रावधान द्वारा निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर विचार किया जा सकता है, कार्यवाही को एनजीटी को वापस भेज दिया जाता है।

/

(iii) एनजीटी, उपरोक्त (ii) में निर्दिष्ट पहलू पर विचार करते हुए, यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि क्या अपीलार्थी द्वारा देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है; और

/

((iv) हम स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यदि देरी को माफ कर दिया जाता है, तो एनजीटी प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और तर्कों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

/

21. अपील को उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुज्ञात जाएगी, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

22. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

/